

**बिहार सरकार**  
**विज्ञान एवं प्रावैदिकी विभाग**

पत्रांक— वि.प्रा。(III)ब—12 / 2012—

/ पटना, दिनांक

प्रेषक

ओम प्रकाश राय,  
अपर सचिव

सेवा में,

प्राचार्य,  
राजकीय पोलिटेक्निक, कैमुर

**विषयः—** वित्तीय वर्ष 2015–16 में आयोजना (योजना) बजट के “मुख्यशीर्ष—2203— तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष— 00, लघुशीर्ष— 105—बहुशिल्प (पोलिटेक्निक) विद्यालय, मांग संख्या—43, उपशीर्ष— 0101— रनातक पत्र पाठ्यक्रम—विश्ववैक सम्पोषित पोलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना” (विपत्र कोड— P 2203001050101) के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या—322, दिनांक 29.01.2016 के द्वारा विभागान्तर्गत नवरस्थापित राजकीय पोलिटेक्निक, कैमुर में वर्ष 2016–17 से सत्रारंभ करने के लिए संस्थान के प्राचार्य कक्ष, कार्यालय, वर्गकक्ष, पुस्तकालय, कर्मशाला एवं प्रयोगशाला में आवश्यकता आधारित मशीनें/उपकरण एवं उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु रु. 90,00,000=00 मात्र तथा पुस्तक/सॉफ्टवेयर के क्रय हेतु रु. 5,00,000=00 मात्र अर्थात् कुल 95,00,000=00 (पंचानवे लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2015–16 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन 13 01 कार्यालय व्यय विषयशीर्ष में द्वितीय अनुपूरक से उपबंधित राशि से रु. 5,00,000=00 (पाँच लाख रुपये) मात्र का आवंटन प्रदान किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या— 2561 / वि.(2), दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 10471, दिनांक 16.12.2015 में अंकित प्रावधानों के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों एवं वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्त्तन कदापि नहीं किया जाय।

4. विभिन्न विषयशीर्ष में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर समुचित आयोजना (योजना), शीर्षादि, कोड संख्या, मांग संख्या, विपत्र कोड एवं प्राथमिक इकाई (कूट संख्या सहित) का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280 / वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।

6. टी. भी. न. एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/ —

(ओम प्रकाश राय)

अपर सचिव

विज्ञान एवं प्रावैदिकी विभाग

बिहार, पटना

ज्ञापांक— वि.प्रा.(III)ब—12/2012—

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार, पटना/सचिव (व्यय), विज्ञान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ —

अपर सचिव  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग  
बिहार, पटना

ज्ञापांक— वि.प्रा.(III)ब—12/2012—

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, कैमुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ —

अपर सचिव  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग  
बिहार, पटना

ज्ञापांक— वि.प्रा.(III)ब—12/2012—

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, राजकीय पोलिटेक्निक, डिहरी—ऑन—सोन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ —

अपर सचिव  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग  
बिहार, पटना

ज्ञापांक— वि.प्रा.(III)ब—12/2012—

566(1)/पटना, दिनांक १८/१८/१६

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/योजना सहायक/आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु)/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

५६६(१)  
१८/१८/१६

अपर सचिव  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग  
बिहार, पटना

मुख्यमंत्री  
बिहार